भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

**लोकसभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या 227**
**04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत**

## एफएएमई तथा पीएम ई-ड्राइव योजनाओं का कार्यान्वयन

**227. श्रीमती मालविका देवी:**
**श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (एफएएमई) योजना के पहले और दूसरे चरण तथा पीएम ई-ड्राइव योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त विद्युत वाहनों, स्थापित चार्जिंग अवसंरचना और लगाई गई बैटरियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक के विनिर्माताओं सहित अन्य विनिर्माताओं द्वारा एफएएमई-।। और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और संबंधित संघटकों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एफएएमई योजना के पहले और दूसरे चरण तथा पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक, देश में सर्वाधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों वाले राज्य के रूप में उभरा है और यदि हां, तो बेंगलुरु में इस अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) कर्नाटक और जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था को अपनाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों और दीर्घकालिक कार्यनीति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग मंत्री**
**(श्री एच. डी. कुमारस्वामी)**

**(क) से (च):** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

**"एफएएमई तथा पीएम ई-ड्राइव योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्रीमती मालविका देवी तथा श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी द्वारा दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 227 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**(क), (ख) एवं (घ)**

दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-I, फेम-II तथा पीएम ई ड्राइव-स्कीमों के अंतर्गत आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका 1**

(करोड़ रु. में)

| **स्कीम** | **कार्यान्वयन अवधि** | **आवंटित निधि** | **जारी निधि** | **उपयोग की गई निधि** |
|---|---|---|---|---|
| फेम-I | 01.04.2015 to 31.03.2019 | 895 | 895 | 895 |
| फेम-II | 01.04.2019 to 31.03.2024 | 11,500 | 10,163 | 10,163@ |
| पीएम ई ड्राइव-स्कीम | 01.04.2024 to 31.03.2028 | 10,900 | 2,322 | 2,322 |

@ फेम-I की ₹366 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता सहित।

उक्त स्कीमों का कार्यान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है तथा इनके अंतर्गत राज्यों के लिए निधियों का पृथक आवंटन नहीं किया गया है।

**फेम-I स्कीम:**

फेम-I के अंतर्गत कुल 2,81,412 ईवी को सहायता प्रदान की गई, जिनमें कर्नाटक में 15,526 तथा महाराष्ट्र में 36,803 ईवी शामिल हैं। चरण-I की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

**फेम-II स्कीम:**

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II के अंतर्गत 16,71,606 ईवी की बिक्री को सहायता प्रदान की गई है। इनमें कर्नाटक में 2,58,254 तथा महाराष्ट्र में 3,12,835 ईवी शामिल हैं।

फेम-II के अंतर्गत कुल 5,297 ई-बसें तैनात की गई हैं, जिनमें कर्नाटक में 1,221 तथा महाराष्ट्र में 830 ई-बसें शामिल हैं।

**ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस)**: दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर निम्नानुसार 9,583 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित किए जा चुके हैं:

**तालिका-2**

| **श्रेणी** | **फ़ेम-II के अंतर्गत कुल** | **कर्नाटक में संस्थापित** | **बेंगलूरू में संस्थापित** | **महाराष्ट्र में संस्थापित** | **जलगांव में संस्थापित** |
|---|---|---|---|---|---|
| **संस्थापित ईवीपीसीएस** | 9,583 | 788 | 99 | 802 | 31 |

फेम-II की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

**पीएम ई ड्राइव-स्कीम :**

दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 26,54,172 ईवी की बिक्री को सहायता प्रदान की गई है। स्कीम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-III** में दी गई है। स्कीम के अंतर्गत बेचे गए एवं सहायता प्राप्त ईवी तथा कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में सहायता प्राप्त ईवी का विवरण नीचे **तालिका-3** में दिया गया है:

**तालिका-3: पीएम ईड्राइव-**

| **खंड** | **स्कीम कुल** | **कर्नाटक** | **बेंगलूरू** | **महाराष्ट्र** | **जलगांव** |
|---|---|---|---|---|---|
| **सहायता प्राप्त ईवी** | 26,54,172 | 2,67,127 | 1,08,605 | 4,28,253 | 10,995 |
| **आवंटित ई-बसें** | 14,000 | 4,500 | 4,500 | 2,500 | - |
| **आवंटित ईवी चार्जर** | 6,562 | 1,571 | **शहरवार आवंटन नहीं किया गया है।** | **कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।** | - |

आज तक पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत कोई भी चार्जर स्थापित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, फेम-I, फेम-II तथा पीएम ई-ड्राइव स्कीमों के अंतर्गत केवल उन्नत बैटरियों से युक्त ईवी को ही प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

**(ग):** फेम-II तथा पीएम ई ड्राइव-स्कीम के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य सहित देश में ईवी एवं उनके संघटकों, जिनमें बैटरी पैक भी शामिल हैं, के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विनिर्माताओं हेतु चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अनिवार्य किया गया है। (पीएमपी)

**(ङ):** दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, बीएचईएल के ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में 6,805 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं, जो देश में दूसरा सर्वाधिक है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में 1,571 चार्जरों की स्थापना हेतु ₹153.1 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**(च):** पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत राज्यवार, जिला-वार अथवा वित्तीय वर्ष-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के सभी संघटकों के अंतर्गत सहायता हेतु लक्षित ईवी की कुल संख्या का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।

*******

**अनुलग्नक-I**

1. फेम-I स्कीम दिसंबर), 2018 तक के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति (निम्नानुसार है:

**तालिका 1**

| **क्र. स.** | **खंड** | **सहायता प्राप्त ईवी की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया | 2,80,987 |
| 2 | ई-बसें | 425 |
| | **कुल** | **2,81,412** |

2. फेम-I स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त ईवी का राज्यवार विवरण निम्नानुसार:

**तालिका-2**

| **क्र. स.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **इलेक्ट्रिकहाइब्रिड वाहनों / (लगभग) की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र | 36,803 |
| 2 | गुजरात | 31,577 |
| 3 | उत्तर प्रदेश | 29,025 |
| 4 | हरियाणा | 25,908 |
| 5 | दिल्ली | 20,228 |
| 6 | तमिलनाडु | 17,901 |
| 7 | राजस्थान | 17,405 |
| 8 | कर्नाटक | 15,526 |
| 9 | पश्चिम बंगाल | 14,855 |
| 10 | केरल | 11,394 |
| 11 | आंध्र प्रदेश | 10,548 |
| 12 | तेलंगाना | 9,320 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 7,019 |
| 14 | पंजाब | 6,925 |
| 15 | छत्तीसगढ | 4,823 |
| 16 | उत्तराखंड | 4,534 |
| 17 | ओडिशा | 4,410 |
| 18 | बिहार | 3,700 |
| 19 | चंडीगढ़ | 2,533 |
| 20 | असम | 1,923 |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | झारखंड | 1,892 |
| 22 | पुदुचेरी | 835 |
| 23 | दादरा एवं नगर हवेली | 820 |
| 24 | गोवा | 515 |
| 25 | जम्मू एवं कश्मीर | 518 |
| 26 | हिमाचल प्रदेश | 173 |
| 27 | त्रिपुरा | 86 |
| 28 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 82 |
| 29 | नागालैंड | 67 |
| 30 | मणिपुर | 61 |
| 31 | मेघालय | 6 |
| **कुल** | | **2,81,412** |

**अनुलग्नक-II**

1. दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II स्कीम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

**तालिका 1**

| **क्र. स.** | **श्रेणी** | **सहायता प्राप्त वाहनों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | **ई-दुपहिया** | 14,69,343 |
| 2 | **ई-तिपहिया** | 1,78,952 |
| 3 | **ई-चौपहिया** | 23,311 |
| 4 | **ई-बसें** | 5,297 (तैनात) |
| 5 | **ईवीपीसीएस** | 9,583 (संस्थापित) |
| | **कुल** | **16,76,903** |

2. दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त ईवी का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका-2**

| **क्र. स.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **सहायता प्राप्त ईवी (संख्या)** |
|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र | 3,12,835 |
| 2 | कर्नाटक | 2,58,254 |
| 3 | तमिलनाडु | 1,32,997 |
| 4 | गुजरात | 1,27,551 |
| 5 | केरल | 1,04,611 |
| 6 | दिल्ली | 94,623 |
| 7 | राजस्थान | 93,556 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 92,572 |
| 9 | तेलंगाना | 78,721 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 61,286 |
| 11 | आंध्र प्रदेश | 60,962 |
| 12 | ओडिशा | 54,752 |
| 13 | छत्तीसगढ | 38,641 |
| 14 | बिहार | 29,078 |

| क्र. स. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सहायता प्राप्त ईवी (संख्या) |
|---|---|---|
| 15 | पश्चिम बंगाल | 22,379 |
| 16 | हरियाणा | 17,637 |
| 17 | गोवा | 15,168 |
| 18 | पंजाब | 13,403 |
| 19 | झारखंड | 12,821 |
| 20 | उत्तराखंड | 12,396 |
| 21 | असम | 12,155 |
| 22 | त्रिपुरा | 7,954 |
| 23 | जम्मू कश्मीर | 7,653 |
| 24 | पुदुचेरी | 4,054 |
| 25 | चंडीगढ़ | 2,666 |
| 26 | हिमाचल प्रदेश | 1,167 |
| 27 | मणिपुर | 522 |
| 28 | मेघालय | 513 |
| 29 | मिजोरम | 328 |
| 30 | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 271 |
| 31 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 30 |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश | 16 |
| 33 | लक्षद्वीप | 16 |
| 34 | सिक्किम | 10 |
| 35 | नागालैंड | 8 |
| | **कुल** | **16,71,606** |

3. दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II स्कीम के अंतर्गत तैनात ईबसों का -राज्यवार विवरणनिम्नानुसार है:

**तालिका-3**

| क्र. स. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | तैनात ईबसों की संख्या- |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 100 |
| 2 | बिहार | 25 |
| 3 | दादरा एवं नगर हवेली | 25 |
| 4 | दिल्ली | 1,321 |
| 5 | तेलंगाना | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | गुजरात | 650 |
| 7 | कर्नाटक | 1,221 |
| 8 | महाराष्ट्र | 830 |
| 9 | ओडिशा | 50 |
| 10 | उत्तराखंड | 30 |
| 11 | उत्तर प्रदेश | 600 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | 40 |
| 13 | गोवा | 125 |
| 14 | चंडीगढ़ | 80 |
| 15 | जम्मू एवं कश्मीर | 200 |
| | **कुल** | **5,297** |

4. दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II स्कीम के अंतर्गत तीन तेल विपणन कंपनियों द्वारा (ओएमसी)संस्थापित ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (वीपीसीएसई) की राज्यवार संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका-4**

| **क्र. स.** | **राज्य** | **संस्थापित ईवीपीसीएस** |
|---|---|---|
| 1 | तमिलनाडु | 1019 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | 938 |
| 3 | महाराष्ट्र | 776 |
| 4 | कर्नाटक | 785 |
| 5 | हरियाणा | 561 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | 548 |
| 7 | राजस्थान | 618 |
| 8 | गुजरात | 524 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 451 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | 482 |
| 11 | पंजाब | 439 |
| 12 | तेलंगाना | 425 |
| 13 | केरल | 352 |
| 14 | बिहार | 312 |
| 15 | ओडिशा | 236 |
| 16 | झारखंड | 193 |
| 17 | छत्तीसगढ | 165 |

| क्र. स. | राज्य | संस्थापित ईवीपीसीएस |
|---|---|---|
| 18 | असम | 125 |
| 19 | जम्मू एवं कश्मीर | 76 |
| 20 | उत्तराखंड | 63 |
| 21 | दिल्ली | 67 |
| 22 | हिमाचल प्रदेश | 57 |
| 23 | मेघालय | 29 |
| 24 | गोवा | 24 |
| 25 | नागालैंड | 23 |
| 26 | मणिपुर | 14 |
| 27 | लद्दाख | 13 |
| 28 | पुदुचेरी | 16 |
| 29 | मिजोरम | 7 |
| 30 | दादरा एवं नगर हवेली | 6 |
| 31 | त्रिपुरा | 5 |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश | 3 |
| 33 | अंडमान और निकोबार | 0 |
| 34 | चंडीगढ़ | 0 |
| 35 | सिक्किम | 1 |
| 36 | लक्षद्वीप | 0 |
| | कुल | **9,353** |

स्रोत (ओएमसी) तीन तेल विपणन कंपनियाँ :, अर्थात् बीपीसीएल, आईओसीएल तथा एचपीसीएल।

इसके अतिरिक्त, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों द्वारा 230 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं (ईवीपीसीएस), जिनमें कर्नाटक में 3 तथा महाराष्ट्र में 26 ईवीपीसीएस शामिल हैं।

**अनुलग्नक-III**

1. दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम ई ड्राइव-स्कीम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

**तालिका-1**

| खंड | लक्ष्य संख्या | समर्थित ईवी |
|---|---|---|
| ई-दुपहिया | 24,79,120 | 23,79,264 |
| ई-रिक्शा और ई-कार्ट | 39,034 | 6,547 |
| ई-तिपहिया (एल5) | 2,88,809 | 2,68,306 |
| ई-ट्रक | 5,643 | 55 |
| ई-एम्बुलेंस | 3,811 | - |
| **मांग प्रोत्साहन** | **28,16,417** | **26,54,172** |
| ई-बसें | 14,028 | 14,000 (आवंटित) |
| **कुल** | **28,30,445** | **26,54,172** |

3. दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम ई ड्राइव-स्कीम के अंतर्गत समर्थित ईवी का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका-2**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र | 4,28,253 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | 2,78,178 |
| 3 | कर्नाटक | 2,67,127 |
| 4 | तमिलनाडु | 2,58,704 |
| 5 | मध्य प्रदेश | 1,73,273 |
| 6 | राजस्थान | 1,56,022 |
| 7 | केरल | 1,52,532 |
| 8 | ओडिशा | 1,39,578 |
| 9 | आंध्र प्रदेश | 1,33,009 |
| 10 | गुजरात | 1,14,064 |
| 11 | तेलंगाना | 81,577 |
| 12 | बिहार | 72,879 |
| 13 | छत्तीसगढ | 62,599 |
| 14 | पश्चिम बंगाल | 58,944 |
| 15 | दिल्ली | 53,780 |

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|
| 16 | पंजाब | 49,640 |
| 17 | असम | 42,035 |
| 18 | हरियाणा | 29,266 |
| 19 | झारखंड | 24,631 |
| 20 | उत्तराखंड | 19,373 |
| 21 | जम्मू एवं कश्मीर | 15,940 |
| 22 | गोवा | 13,850 |
| 23 | त्रिपुरा | 13,408 |
| 24 | पुदुचेरी | 7,376 |
| 25 | चंडीगढ़ | 2,719 |
| 26 | हिमाचल प्रदेश | 1,790 |
| 27 | मणिपुर | 1,145 |
| 28 | मिजोरम | 1,119 |
| 29 | मेघालय | 806 |
| 30 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 330 |
| 31 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 61 |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश | 52 |
| 33 | लक्षद्वीप | 22 |
| 34 | सिक्किम | 22 |
| 35 | नागालैंड | 13 |
| 36 | **कुल** | **26,54,117** |

3. **ई:ट्रक-** 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 55 ईट्रकों की बिक्री - की जा चुकी है।

4. **ई-बसें:** 14,000 ई:बसों का आवंटन निम्नानुसार किया गया है-

**तालिका-3**

| क्र. सं. | शहर | कुल |
|---|---|---|
| 1 | बेंगलुरु | 4,500 |
| 2 | दिल्ली | 2,800 |
| 3 | हैदराबाद | 2,200 |
| 4 | अहमदाबाद | 1,200 |
| 5 | मुंबई | 1,500 |
| 6 | पुणे | 1,000 |
| 7 | सूरत | 600 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 200 |
| | **कुल** | **14,000** |

**5. सार्वजनिक ईवी चार्जर:** स्कीम के अंतर्गत 9 राज्यों में 5,871 सार्वजनिक ईवी चार्जरों की स्थापना हेतु प्राप्त अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका-4: 22.07.2026 तक की स्थिति**

| क्र. सं. | राज्य | ईवी चार्जरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कर्नाटक | 1,571 |
| 2 | दिल्ली | 1,146 |
| 3 | राजस्थान | 805 |
| 4 | उत्तर प्रदेश | 714 |
| 5 | आंध्र प्रदेश | 577 |
| 6 | तमिलनाडु | 498 |
| 7 | केरल | 335 |
| 8 | तेलंगाना | 169 |
| 9 | गुजरात | 56 |
| | कुल | **5,871** |

इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत तीन तेल विपणन कंपनियों के (ओएमसी)691 चार्जरों को भी अनुमोदित किया गया है।

**6. परीक्षण एजेंसियां:** राष्ट्रीय स्तर पर ईवी के प्रमाणन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चार परीक्षण एजेंसियोंएआरएआई–, आईकैट, नैट्रैक्स तथा जीएआरसी–के आधुनिकीकरण के लिए ₹780 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*******